UPKU010011182026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।
उपस्थितः संजीव कुमार त्यागी, एच.जे.एस.–Id. No. UP2018
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 487/2026

चन्द्रप्रकाश पाण्डेय बउम्र 56 वर्ष पुत्र स्व० महातम पाण्डेय, सा०– गरूण नगर निकट रामलीला मैदान कस्बा पडरौना, थाना– कोतवाली पडरौना, जिला– कुशीनगर। हाल मुकाम–कजाकपरा गगानगर कालोनी आलमपुर, वाराणसी 221001.

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार

.....विपक्षी

मु०अ०सं०– 329/2024
धारा– 420, 504, 506, 406 भा०दं०सं०
थाना– कोतवाली पडरौना,
जिला–कुशीनगर।

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण</u>

1–वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त चन्द्रप्रकाश पाण्डेय द्वारा इस याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में उसे अग्रिम जमानत प्रदान किया जाय।

2–अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 26–05–2024 को वादी मुकदमा गोपाल प्रसाद गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली पडरौना में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय पुत्र स्व महात्म पाण्डेय निवासी छुछियागेट पर स्थित मकान का 1/3 हिस्सा जिसके वह तनहां मालिक है उस मकान को उन्हें बेचना था। चन्द्रप्रकाश पाण्डेय ने उस मकान का 14 लाख रूपये में सौदा तय किया। जिस पर उसने भिन्न भिन्न तारीखों पर उनके दिये हुए बैंक खाता सं0– 113721883882–5000 रूपयें, 113806187399–45000/– रु० 113818 538486–50,000/–रू0,1142118394673–60,000/–रू0, 114417144202–40,000/–रू०, 118720172474– 100000/–रू0, 12117372142– 200000/–रू०, 121217372142–200000/–रू०, 13060738678–5000/ रू0 130608531284–95000/–रू0 कुल 8.00 लाख रूपया चन्द्रकाश पाण्डेय के खाते में ट्रान्सर्फर किया गया तथा 35000/–रू0 नगद दे दिया गया। शेष रकम बैनामा के वक्त देने के लिए तय हुआ। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने पैसा लेने के बाद बैनामा करने में देरी की तो वह और राजेश कुमार गुप्ता तथा मिन्टू गुप्ता उनके आवास पर गये और मकान

बैनामा करने के लिए कहा तो चन्द्रप्रकाश पाण्डेय ने 03.03.2022 तक बैनामा करने का शपथ पत्र/नोटरी बनाकर दे दिया और एक माह का समय लिया एवं कहा कि अगर एक माह बाद बैनामा नहीं करूंगा तो ब्याज सहित आपका रकम लौटा दूंगा। यह बात चन्द्रप्रकाश पाण्डेय ने शपथ पत्र में लिख कर दिया। उस शपथ पत्र में दिये गये समय बीत जाने के बाद चन्द्रप्रकाश पाण्डेय ने बैनामा नहीं किया इसके बाद उसने चन्द्र प्रकाश पाण्डेय पर बैनामा करने का दबाव बनाया तो उन्होने शेष रकम 5,65,000/–रू० मांगा और कहा कि पैसा आप हमको देगें तब बैनामा करूंगा। तब उसने चन्द्रप्रकाश पाण्डेय को 4,65,000/–रू० दो गवाहों राजेश गुप्ता तथा मिन्टू गुप्ता के सामने नगदी रूपया चन्द्र प्रकाश पाण्डेय को दे दिया और कहा कि बाकी एक लाख रूपया बैनामा करने के वक्त दे दूंगा। जिस पर चन्द्रप्रकाश पाण्डेय ने सहमति प्रदान की और 4,65,000/–रू० प्राप्त करने के बाद स्व हस्ताक्षरयुक्त पेपर पर इकरारनामा लिख कर दिया ताकि सबूत के तौर पर काम आवे। उनके द्वारा दिया गया यह भी समय बीत जाने के बाद जब उसने बैनामा करने के लिये दबाव बनाया तो पता चला कि उस मकान को चन्द्रप्रकाश पाण्डेय ने दूसरे व्यक्ति के हाथों बेच दिया और उसका रकम भी वापस नहीं किया। उसने अपना रकम वापस करने के लिए कहा तो दो साल तक उसको पैसा देने में आना कानी की और खूब दौड़ाया। दो साल व्यतीत हो जाने के बाद उन्होने 50,000/–रू0 84000/–रू0 50000/–रू ट्रान्सफर किया। शेष रकम 11,16,000/– रू0 मांगने पर चन्द्रप्रकाश पाण्डेय व उनकी पत्नी जान मारने की धमकी दी और गाली गलौज दिया और कहा कि तुम्हारा शेष रकम वापस नहीं करेगें जो तुमको करना है कर लो। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने उसके साथ धोखा धड़ी व विश्वासघात किया जिससे उसे बहुत गहरा मानसिक आघात पहुंचा और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वह शेष रकम की ब्याज सहित वापसी चाहते है। अतः पुलिस प्रशासन से सादर अनुरोध है कि उक्त चन्द्रप्रकाश पाण्डेय के विरूद्ध प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कर सख्त से सख्त कार्यवाही किया जाये। तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी।

3– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त को रंजिशन झूँठे मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त को गलत व झूँठा फंसाया गया है। अभियुक्त सामाजिक व प्रतिष्ठित ब्यक्ति है तथा वादी मुकदमा प्रभावशाली ब्यक्ति है। वह अभियुक्त को जेल भेजवाने की फिराक में है। अभियुक्त पर स्थानीय पुलिस दबाव बना रही है वह अभियुक्त को कभी भी जेल भेज सकती है। अभियुक्त अग्रिम जमानत मुचलका दाखिल करने को तैयार है। तदनुसार अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा बहस में कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी को अपना मकान बैनामा करने के नाम पर उससे कुल तरह लाख रूपया लिया गया तथा वादी को मकान बैनामा नहीं किया गया न उसका मु०– 11,16,000/– रू० वापस ही किया गया तथा रूपया मांगने पर उसे गाली गुप्ता व जान माल की धमकी दी गई। मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है। इसलिये अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गई।

5– मैनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसके द्वारा वादी के पक्ष में अपना मकान बैनामा करने हेतु उससे कुल मु०–13,00,000/– रूपया लिया गया परन्तु वादी के पक्ष में न तो मकान का बैनामा किया गया और न ही वादी का शेष मु०–11,16,000/– रूपया वापस ही किया गया और जब वादी द्वारा अपना पैसा वापस मांगा गया तो उसे गाली गुप्ता व जान माल की धमकी दी गयी। पत्रावली पर विवेचक द्वारा एकरारनामा संकलित किया गया है जिस पर अभियुक्त व दो गवाहान राजेश कुमार व मिन्टू कुमार के हस्ताक्षर हैं। एकरार नामा के अनुसार अभियुक्त कुल तेरह लाख रूपये प्राप्त कर चुका था तथा शेष एक लाख रूपया बैनामा के पश्चात प्राप्त किया जाना था। परन्तु एकरार नामा के विपरीत अभियुक्त द्वारा वादी के पक्ष में अपने मकान का बैनामा नहीं किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की बाबत तथ्यों की मजबूत व युक्तियुक्त कड़ी बनती है। अभियुक्त के पास ऐसा कोई बचाव नहीं है जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों पर अविश्वास किया जाय। अपराध की प्रकृति काफी गंभीर है। उक्त दिये गये सभी कारणों के मद्देनजर अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त चन्द्रप्रकाश पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(संजीव कुमार त्यागी)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर स्थान पडरौना

दिनांकः– 11–03–2026
R.P.Shukla

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.03.12 16:04:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court